

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1590

दिनांक 24/11/2021

प्रार्थीगण :-

1.पनीदेवी पत्नि खेराजराम
जाति मेघवाल,
निवासी अली की ढाणी(देदूसर)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.गेमराराम पुत्र चतुराम 2.धर्मराम
3.हरजीराम 4.रुगाराम पि.खेराजराम
5.कचराराम पुत्र प्रभूराम 6.धोधाराम पुत्र
टमाराम, जातियान मेघवाल,
निवासी अली की ढाणी (देदूसर),
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 11/2021

दिनांक : 26.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा अली की ढाणी के खेत खसरा सं. 557/340 रकबा 50.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीनी कमिशनर को कमिशनर फीश 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1591 to 1594

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी पनीदेवी
3. विप्रार्थीगण गेमराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक 24/11/2021



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
चौहटन